

5. पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के लिए प्रवेश पत्र संबंध जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी अतः समय-समय पर अवलोकन करना होगा।
6. उम्मीदवार आवेदन पत्र में चस्पा किए गए फोटोग्राफ की ही एक प्रति प्रवेश पत्र में चस्पा करेंगे, भिन्न फोटोग्राफ होने पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
7. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पुनः आवेदन/निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. प्रत्येक विज्ञापित पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेगे।

#### (4) नियम एवं शर्तें:—

1. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु पदानुसार लिखित, प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी।
2. **परिवीक्षा अवधि:**—चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, तो नियोक्ता/विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए माननीय महाधिवक्ता के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
5. अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, गलत/भ्रमक जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी/वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
7. किसी कारणवश निर्धारित परीक्षा तिथि स्थगित होने पर पुनः तिथि निर्धारित करके परीक्षा ली जा सकती है।
8. भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र की स्वःप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारी बैचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय स्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. किसी पद हेतु अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर परीक्षा संबंधी समस्त निर्णय भर्ती समिति के निर्णय के विचाराधीन होगी।

#### (5) चयन प्रक्रिया:—

1. पात्र अभ्यर्थियों हेतु एक लिखित, प्रायोगिक/कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।
  2. शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) एवं सहायक वर्ग-03 के पद के लिए लिखित एवं कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(अ)	लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम अंक	—	100 अंक
(ब)	कौशल परीक्षा के लिए अधिकतम अंक	—	50 अंक
- चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

**चरण -01 : लिखित परीक्षा**

- (अ) लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की 100 प्रश्न होंगे।  
(ब) कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी।

**पाठ्यक्रम**

1. सामान्य अध्ययन (भारत)	20 अंक
2. सामान्य अध्ययन (छत्तीसगढ़)	15 अंक
3. कम्प्यूटर का सामान्य जानकारी	20 अंक
4. सामान्य मानसिक योग्यता	10 अंक
5. सामान्य गणित	15 अंक
6. सामान्य हिन्दी	10 अंक
7. सामान्य अंग्रेजी	10 अंक

लिखित परीक्षा (चरण-1) में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों को 1:15 के अनुपात में चरण-2 कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

**चरण -02 : कौशल परीक्षा (सहायक वर्ग-03)**

- (अ) दूसरी चरण में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट शामिल है।  
(ब) कौशल परीक्षा अधिकतम 50 अंको की होगी, जो इस प्रकार है :  
1. हिन्दी में कम्प्यूटर टाइपिंग (10 मिनट में 250 शब्द) — 25 अंक  
2. अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाइपिंग (10 मिनट में 300 शब्द) — 25 अंक

**कौशल परीक्षा (शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) )**

1. अंग्रेजी शीघ्रलेखन (श्रुतलेख) (5 मिनट में 500 शब्द) — 25 अंक
2. अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाइपिंग (10 मिनट में 300 शब्द) — 25 अंक
3. प्रायोगिक परीक्षा में शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी में श्रुत लेख दिया जावेगा जिसे आशुलिपी में लिखना होगा, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर शुद्धता से कम्प्यूटर पर टाईप कर प्रिन्ट निकालना होगा।
4. टाइपिंग टेस्ट Window Operating System MS Office में हिन्दी टायपिंग Krutidev 010 font में एवं अंग्रेजी टायपिंग Times New Roman font में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक गलती के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे।
5. उपरोक्त विज्ञापित दोनों पदों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट में 25 अंक में से न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे।
6. शीघ्रलेखक अंग्रेजी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को 25 अंक में से न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे।
7. मेरिट सूची केवल चरण-2 यानी कौशल परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जाएगी और चरण-1 लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को मेरिट सूची/चयन सूची तैयार करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
8. शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिव्यांगजनो तथा भूपू.सै. का चयन किया जावेगा ।

(माननीय महाधिवक्ता महोदय द्वारा अनुमोदित)

अवर सचिव  
कार्यालय महाधिवक्ता,  
छ0ग0, बिलासपुर